भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **1071**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021/12 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है।

वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहन

1071. श्री भर्तृहरि महताब

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) नीति को उदार बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति देश में किसानों की मांगों को पूरा करने और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार अपनी मौजूदा नीति को जारी रखने का है जो शहर के अपशिष्ट से बनी शहरी खाद के उत्पादन और खपत में वृद्धि करने के लिए राजसहायता के रूप में 1500 रुपये प्रति टन एमडीए प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

(मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): उपरोक्त (क) और (ख) के मदेद्गजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ड.) और (च): सरकार ने शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन पर नीति को अनुमोदित किया था जिसे उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2016 को अधिसूचित किया गया था जिसमें शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने हेतु 1500/- रुपए एम.टी. की बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की गई थी। तथापि, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन की नीति की समीक्षा और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की दिनांक 02 अगस्त, 2021 को हुई इसकी बैठक में की गयी सिफारिशों के आधार पर शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने संबंधी बाजार विकास सहायता स्कीम को 30 सितम्बर, 2021 के बाद से बन्द कर दिया गया है।

******